

## ग्राम स्वराज कीष

### अनुक्रमणिका

<u>प्रबंध समिति राजिस्टर</u>	<u>स्थान</u>	<u>तारीख</u>	<u>टार्षिक पृष्ठ नं०</u>
(1) भारत को शासन व्यवस्था - के पीके प्रबंध	वाराणसी	29-10-59	1
(2) के पीके के निबंध पर परिसंवाद	..	..	1-2
(3) .. .. .	..	10-5-60	23-5
(4) विकेंद्रित अर्थ व्यवस्था परिसंवाद	इंदौर	17-8-60	5
(5) वर्धा जिला विकास योजनापर विनीबाजो को राय ।	गोलकगंज	6-3-61	6-7
(6) विकेंद्रित अर्थव्यवस्था - 7 मुद्दे गई विद्या संस्थान के सहयोग से ।	..	..	8-9
(7) ग्राम स्वराज संकल्प के नमुने	काशी	2-11-61	9
(8) प्रदेशवार ग्राम स्वराज कार्य को जानकारी आपरो	..	४ 30-5-64	10-12
(9) समग्र दृष्टि से कार्य करने के लिये संगठना का स्वरूप	..	..	12, 13
(10) कीष का विनियोग तथा बटवारा जयप्रकाश जो को अध्यक्षता में समिति	पूना	17-3-70	14-15
(11) ग्राम स्वराज कीष को जानकारी को हपो रिपोर्ट . स सेवा संघ का दसवा हिस्सा दिया जाय ।	साक्लीसोकर	29-7-70	16-17
(12) पहले कित्त रु 52, 56, 285 विनीबाजो को समर्पित	सेवाग्राम	1-10-70	18
(13) ग्राम स्वराज कीष का विनियोग	..	..	19
(14) .. .. . के वितरण का प्रतिशत तथा फूल को योजना	..	..	20
(15) कीष संग्रह में हुए खर्च को योजना सिद्धराजो को रिपोर्ट	..	..	21

- (16) सयन क्षेत्रों का चुनाव सिवाग्राम 10-10-70 22-23
- (17) ग्राम स्वराजकीय 3-12-77 तक 74 लाख ग्रुप्त.रक करीड का लक्ष्य दाताजी की धन्यवाद । वाराणसी 21-1-71 24
- (18) केंद्रीय पूल से सहायता की योजना " " " 25
- (19) कौष समिती 30-6-71 को तय की गई । नासिक 5-5-71 26
- (20) बिकानेर में 2 लाख जमा किया गया उसकी 10 प्रतिशत संध की क्यों नहीं बीजा ? नकोदर 14-5-72 26

ग्राम स्वराज्य का चित्र तथा ग्राम स्वराज्य कीष  
(प्रबंध समिति रजिस्ट्रार)

....

(प्रबंध समिति रजि नं० 3)

(वाराणसी - 29-10-59)

पृ० नं० 208

प्रस्ताव नं० 7 :-

"जे पी के का प्रबंध निबंध"

भारत की शासन - व्यवस्था

...

श्री जयप्रकाशनारायणजी ने भारतीय शासन व्यवस्था की नया रूप देने संबंधी एक निबंध लिखा है और उसे देश के कुछ एक विचारकों के पास भेजा है। लीकशार्ड के जिस स्वल्प की मुदान-ग्रामदान अदीलन के साथ देश के सामने हम रखते हैं उसके संदर्भ में समाज और राज्य व्यवस्था क्या ही और आज की राजनीति को कैसे मीठा जाय इस पर कई बार चर्चा हुई लेकिन व्यवस्थित योजना व विचार लिखा नहीं गया था। श्री जयप्रकाशनारायणजी का उसी दिशा में यह महत्व का प्रयत्न है। इसके इससे हमारे विचार व चिंतन के एक महत्व के अंग की पूर्ति हुई है। यह आवश्यक है कि श्री जयप्रकाशनारायणजी के निबंध पर देश भर के कार्यकर्तों व संघ सदस्यों व विचारकों आदि का ध्यान आकर्षित किया जाय। इस पर से चर्चा व विचार विनिमय ही। अतः तय हुआ कि इस निबंध की निजी उपयोग व वितरण के लिये हिंदी व अंग्रेजी में छपाया जाय और वितरित किया जाय। फिर श्री जय प्रकाश नारायणजी के विदेश से लौटने पर 1 जनवरी से 7 जनवरी '60 तक का इस विषय पर चर्चा के लिये साधना केन्द्र की ओर से एक परिसंवाद आयोजित किया जाय जिसमें 20 से 25 तक विचारकों को आमंत्रित किया जाय। उस चर्चा के बाद इस संबंधी आगे का विचार किया जाय।

.....

प्रबंध समिति रजि 3  
(5-1-60)

प्रस्ताव नं० 10 :-

जे पी के निबंध के प्रबंध पर परिसंवाद ही

पृ० नं० 223

...

श्री जयप्रकाशनारायणजी के निबंध "भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना का एक सुझाव" पर साधना केन्द्र वाराणसी में ता. 1 जनवरी से 3 जनवरी



स. से. संघ  
(रजिस्टर नं० 4)

(वाराणसी- 10-5-60)

पृ० नं० 45

प्रस्ताव नं० 6 :-  
=====

श्री पी. के. निबंध पर संवाद

.....

सर्व सेवा संघ के सेवाग्राम अधिवेशन में स्वीकृत/और <sup>प्रस्ताव</sup> उसके संदर्भ में प्रबंध समिति के निश्चय के अनुसार श्री जयप्रकाशनारायण के प्रबंध "भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्चना" पर ता. 8, 9 और 10 मई, 1960 को सर्व सेवा संघ के संशोधन के बीच एक परिसंवाद साधना केन्द्र कारी में आयोजित किया गया था। इस परिसंवाद का मुख्य अंगिकाय उक्त प्रबंध पर संघ के कार्यकर्ताओं का अपना अंगिमत दृष्टिकोण, संशोधन, सुझाव आदि की जनाकरी करना था। लगभग 20 कार्यकर्ताओं ने उसमें भाग लिया। ता. 9 मई, 1960 को केंद्रीय विकास का सहकार मंत्री श्री ल. के. हे, उनके सहायक श्री मनकौड़ी, संचालक उ. प्र. संचायक राज्य व विकास आयुक्त ने भी लौकतांत्रिक विकेंद्रीकरण संबंधी चर्चा की दृष्टि से परिसंवाद में भाग लिया।

प्रबंध में वर्णित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं विचार विमर्श के बाद परिसंवाद में सम्मिलित कार्यकर्ताओं ने सामान्यतः प्रबंध में प्रकट किए गए लक्ष्य, विवेचन और कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त सुझावों पर सहमति जाहिर की। निम्नलिखित अंगिप्राय परिसंवाद की ओर से प्रबंध समिति के समक्ष पेश किए गए।

(1) सर्व सेवा संघ गांधी विनीबा के जीवन-दर्शन, विचार व कार्यक्रम पर आधारित जिस प्रकार के सर्वोदय समाज की गावना, दृष्टि और रूपना सर्व सेवा संघ रखता है, उसके श्री जयप्रकाशनारायणजी के प्रबंध में अच्छी अंगिव्यक्ति मिली है।

(2) प्रबंध के विभिन्न मुद्दों पर जो चर्चा हुई, उसकी रीशनी में श्री जयप्रकाशनारायण प्रबंध की अंतिम रूप दें और वह पुस्तक रूप में प्रकट किया जाय।

(3) प्रबंध का एक संक्षिप्त संस्करण तैयार किया जाय जिसमें ऐतिहासिक और सैध्यातिक विवेचन संबंधी अध्याय तथा अंश संक्षिप्तः दिया जाय किन्तु विकेंद्रित अथ, राज्य व्यवस्था (जिसमें प्रशासन भी शामिल है) संबंधी स्प-रेखा व वैसे समाज की स्थापना संबंधी कार्यक्रमवली अध्याय और अंश कुछ विस्तार से दिए जाय।

परिसंवाद की राय रही कि प्रबंध समिति एक समिति का गठन करें जो प्रचार की दृष्टि से प्रबंध का संक्षिप्त संस्करण तैयार करने में श्री जयप्रकाश नारायण की सहायता करे तथा दूसरी समिति बनाई जाय जो इस विषय आदीशन व कार्यक्रम के संबंध में समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करें।

परिसंवाद में एक दिन केन्द्रीय विकास व सरकार मंत्री श्री एस के डे और उनके विभाग के कुछ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री डे ने लोक-तांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो प्रयोग देश में कुछ राज्यों में शुरू हुआ, तथा अन्य कुछ राज्यों में निकट भविष्य में जो प्रयोग व्यापक तरीके पर किया जाने वाला है उसकी जानकारी कराते हुए संघ से विशेषतः निम्न रूप में सहयोग की अपील की :—

1- प्रचार, प्रसार के माध्यम से इस कार्यक्रम के प्रति अनुकूल जनमत जागृत करना।

2- इस योजना में काम करने वाली सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण में योग देना।

3- इस योजना की गांवना की व्यक्त व प्रेरित करनीवाली साहित्य का निर्माण।

4- ग्रामदानी या ऐसे कुछ क्षेत्रों में इस योजना के आधार पर सघन कुछ कार्य हाथ में लेना।

(1) श्री जयप्रकाशनारायणजी के प्रबंध की अंतिम रूप देकर उसे एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराया जाने और प्रबंध में जाहिर किए गए विचार व कार्यक्रम को व्यापक रूप से प्रचलित करने की दृष्टि से उसका एक संक्षिप्त संस्करण तैयार करने के कार्यों के स्थिति में आवश्यक परामर्श, सहयोग व सहायता देने के लिए निम्न लिखित समिति :—

- (1) श्री जयप्रकाश नारायण .
- (2) श्री शंकरराव देव .
- (3) श्री दादा धर्माधिकारी .
- (4) श्री अण्णा साहेब सहस्त्रबुद्धे .
- (5) श्री सिध्दराज ठड्डा .
- (6) श्री पूर्णचन्द जैन .
- (7) श्री नारायण देसाई .

- (8) श्री रसू र. जगनाथन् .  
 (9) श्री रा. कृ. पाटील .  
 (10) श्री राधाकृष्णन् , संयोजक .

(2) जेलवाल की ग्रामदान परिषद में सामुदायिक विकास और ग्रामदान आंदोलन के परस्पर सहयोग की आवश्यकता अनुरूप की गई थी और उसके संदर्भ में सामुदायिक विकास मंत्रालय तथा संघ के कार्यकर्ताओं के बीच विचार विमर्श होकर पिछले वर्षों में अमुक कार्यक्रम चलता भी रहा है। लीकतारिक विकेंद्रीकरण के नये प्रयोग में इससहयोग का खरूप क्या ही सकता है, तत्संबंधी विचार विमर्श करने और कार्यक्रम बनाकर उस संबंधी कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित समिति बनाई गई।

- (1) श्री जयप्रकाश नारायण .  
 (2) श्री गोकुलनाथ शेट्ट .  
 (3) श्री अम्णा साहब सहस्त्रबुद्धी .  
 (4) श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी .  
 (5) श्री मनमीहन चौधरी .  
 (6) श्री पूर्णचन्द्र जैन .  
 (7) श्री अण्णाचलम् .  
 (8) श्री रा. कृ. पाटील, संयोजक .

.....

(रजि. नं० 4)  
 प्रबंध समिति

( इंदौर- 17-8-60 )

पृ० नं० 63

प्रस्ताव नं० 24 :-  
 =====

विकेंद्रित अर्थ व्यवस्था सेमिनार

बाहरवें सर्वोदय सम्मेलन सेवाग्राम के अवसर पर हुई प्रबंध समिति के निश्चय के अनुसार ता० 19 जुलाई से 23 जुलाई, 60 तक साधना केन्द्र काशी में विकेंद्रित अर्थ व्यवस्था के विषय पर एक सप्ताह का परिसंवाद आयोजित किया गया था जिसकी जानकारी श्री रा. कृ. पाटील ने कराई। परिसंवाद की सिफारिशों पर विचार होकर तय हुआ कि अभी परिसंवाद की पूरी कार्यवाही साइक्लोस्टाइल कर प्रबंध समिति के सदस्यों को परिपत्रित की जाय। बाद में उस पर विचार किया जाय।

(प्रबंध समिति रजि नं० 4)

पृ.  
(गलिकगज- 90)

6-3-61

प्रस्ताव नं० 3 :-  
=====वर्धा जिला विकास योजना पर विनीबाजी की राय .

सेवाग्राम व उसके इर्दगिर्द के चलीसगावों में सर्वोदय दृष्टि से ग्राम निर्माण का कुछ ठोस कार्यक्रम चलाने के लिए कई बार बातचीत हुई तथा श्री अण्णासाहेब सहस्त्रबुध्दे गत साल से इस विषय में विशेष प्रयत्नशील हैं। गांधीजी के कारण सेवाग्राम क्षेत्र की विशेषता की ध्यान में लेकर महाराष्ट्र राज्य सरकार भी ऐसी किसी योजना में पूरी सहायता देने के लिए अस्तुक्त है। कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री चव्हाण, श्री टेंबर गार्ड, श्री श्रीमन्नारायण, श्री जी रामचंद्रन, श्री अण्णा साहेब सहस्त्रबुध्दे आदि कुछ विशिष्ट व्यक्ति मिले थे और वर्धा क्षेत्र के कार्य के बारे में विचार-विमर्श किया था।

इस सिलसिले में वर्धा जिला अधिकारियों की ओर से प्राप्त वर्धा तहसील की कृषि उद्योग प्रधान समाज रचना संबंधी नोट श्री अण्णा साहेब ने पेश किया। गत ता० 20 जनवरी को वर्धा में वर्धा के क्षेत्र के कार्य के बारे में सभा हुई थी और उसमें श्री अण्णा साहेब ने अपना लिखित नोट पेश किया था। वह भी उन्होंने सुनाया।

श्री विनीबाजी ने योजना के संबंध में चार बातें (मुद्दे) नजर में रखने के लिए कहा :-

(1) पूरा वर्धा जिला इस विकास योजना के अन्तर्गत किया जाय। छोटा क्षेत्र लेना ही तो जिले का जो सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ भाग हो, उसके लिए योजना बने।

(2) योजना इस तरह से चले कि जिसे सार्वत्रिक रूप दिया जा सके। अर्थात् अन्यत्र भी लागू की जा सके।

(3) गांववाले स्वयं अपने साधनों का अंदाजा लगावे और अपने अभिक्रम से योजना बनावे। उसमें हम लोग मदद करें। योजना के लिए गांववाले कितना काम करेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे और सरकार से कितनी मदद चाहेंगे। उस सब की कुछ निश्चित स्थरीक्षा पहले बने, योजना अमल का जिम्मा गांववाले उठाए।

(4) योजना का उद्देश्य अन्व्योदय का रहे, अर्थात् जो सबसे गरीब या पिछड़ा है, उसे उंचा उठाने का प्रयास उस योजना का साध्य ही।



— यह जिम्मेवारी गांव वाली स्वयं उठावे ।

योजना, उसके उद्देश्य, क्षेत्र, साधन, उसे कार्यान्वित करने संबंधी रीतिनीति वगैरह के बारे में काफी चर्चा हुई । सब की राय रही कि योजना पूरे वर्धा जिले के लिए बनायी जाय । गत ता० २० जनवरी को वर्धा की सभा के सामने श्री अण्णा साहब ने जो लिखित नोट पेश किया था वह योजना की बुनियाद रहे । श्री विनीबाजी के उपर्युक्त चार मुद्दे भी उसमें अन्तर्भूत रहे ।

वर्धा जिले की रीजनल सेनिंग के बेसिस पर और पूर्ण रीजगार देने के ध्यास से योजना बनायी जाय । योजना बनाने की जिम्मेवारी सर्व सेवा संघ की तरफ से श्री अण्णासाहब लें । योजना बनाने में सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिले । योजना तैयार हो जाती है और सरकार भी उसे मान्यता देती है तो उसकी अंश में लाने का काम सरकार का रहे । सर्व सेवा संघ विचार प्रचार में सरकार की सहायता करें । मुख्यतः वायुमंडल पैदा करने और कार्य-कर्ता वर्ग की तालिम देने की जिम्मेवारी सेवाग्राम की तरफ से उठायी जाय । योजना का मसविदा श्री अण्णासाहब, श्री शंकरराव देव और श्री धीरेन्द्र भाई पक्का करें । प्रबंध समिति यह जिम्मेवारी इन तीनों की सौंपती है । प्रबंध समिति की इस चर्चा व निर्णय की जानकारी श्री अण्णा साहब संबंधित व्यक्तियों को दे और इस विषयक कार्यवाही से संघ के कार्यालय की समय-समय पर वाकिफ करते रहें ।

.....

समिति रजि नं० ४)

(गोलकगंज- 6-3-61)

पृ० नं० 107

प्रस्ताव नं० 24 :- विकेंद्रित अर्थ व्यवस्था

...

जुलाई 1960 में विकेंद्रित अर्थ व्यवस्था के विषय पर जो सेमिनार हुआ था उसने सात मुद्दों पर गहराई से सोचने की सिफारिश संघ की की थी। वे सात मुद्दे निम्न प्रकार थे :—

- (1) कृषि-उद्योग प्रधान समाज के लिए देहात में शिक्षण व्यवस्था।
- (2) निम्न निम्न स्तरों पर योजना के निम्न निम्न अंगों में अनुसंधान।
- (3) विकेंद्रित योजनाओं में अभी जो इजिप्सीज काम करती है उनमें तथा समाज-विकास मिनिस्ट्री में अनुसंधान।
- (4) शहरों और देहाती क्षेत्रों के बीच की विषमता, उसपर पंचवर्षीय योजना के कारण पडनेवाला असर, और इस विषमता को खार्ह की को कम करने के उपाय।
- (5) किसी चुने हुए क्षेत्रों में बिजली का उपयोग करने पर अर्थ-व्यवस्था में क्या परिवर्तन होते हैं, उसके प्रयोग करने के लिए समिति।
- (6) देहातों में छोटे उद्योगों की खडे करने से क्या प्रश्न उत्पन्न होते हैं और उनकी हल करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए इस संबंध में प्रत्यक्ष कार्य द्वारा संशोधन करने के लिए तंत्र-विशारदों की समिति।
- (7) कृषि-उद्योग प्रधान समाज में उत्पादित वस्तुओं के आदान-प्रदान बिना शोषक के कैसे हो, यह बताने के लिए एक समिति।

उपर के सातों प्रश्नों पर विचार होकर तय हुआ कि —

नं० 1 और 2 और 4 के विषय गांधी विद्या भवन (इंस्टिट्यूट ऑफ गांधीयन स्टडीज) के सुपूर्द किए जायं। विषयों के अध्ययन के संबंध में इंस्टिट्यूट कार्रवाई करे।

क नं 3 और 5 के संबंध में निर्माण समिति और खादी ग्रामीण्योग समिति सोचकर योजना बनाएँ ।

क नं 6 के विषय में खादी ग्रामीण्योग समिति आगे की कार्रवाई करें ।

ख नं 7 का विषय श्री पाटील के साथ चर्चा कर के तय करना था । श्री पाटील गोलकगंज की सगा में नहीं आ सके । इसलिए इसके संबंध में श्री पाटील से बात करना तय रहा ।

चर्चा के दौरान में श्री शंकरराव जी ने जानकारी दी कि ता. 23, 24 और 25 अप्रैल को पुना में गोखले इन्स्टिट्यूट और सर्व सेवा संघ की गार्डियन इन्स्टिट्यूट के तात्कावधान में एक परिसंवाद रखा गया है । उसमें 'भारत की अर्थ - व्यवस्था के संयोजन के मार्ग' इस विषय पर चर्चा होगी ।

....

(प्र. समिति रजि. नं. 4)

(कशी- 2-11-61)

पृ० नं० 196

प्रस्ताव नं० 23 :- ग्रामस्वराज्य संरूप के नमूने .

पच लाख की आबादी के क्षेत्र में सघन-कार्य :-

श्री कलशस्वामी ने अपने पत्र में लिखा है कि सर्व सेवा संघ पच लाख की आबादी के किसी क्षेत्र को चुनकर ग्राम-संरूप और ग्राम स्वराज्य की दिशा में प्रयोग करें यह बात पिछली बार साथियों से हुई थी उस संबंध में क्या हुआ यह श्री विनीबाजी जानना चाहते हैं ।

इस संबंध में विचार होकर तय हुआ कि श्री विनीबाजी की सघन क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर काम करने की कल्पना सब प्रदेशों के पास भेजी जाय ।

भारत के सब प्रांतों में श्री विनीबाजी की पदयात्रा ही चुकी है । विनीबाजी का कहना है कि — (1) घर-घर सर्वोदय-यात्रा, (2) कीर्तनी

कागडा अदालत में न जाय, (3) और ग्राम-स्वराज्य का संकल्प, यह ही जाय तो वह सर्वोदय जिला हुआ ऐसा वे मानेंगे। इस आधार पर जो भी प्रदेश या जिला उन्हें बुलाये वहाँ उनके जाने की तैयारी ही सकती है। तय हुआ कि श्री विनीबाजी की सर्वोदय जिले की कल्पना और उनका आवाहन सब प्रदेशों की विदित कराया जाय।

.....

(रजिस्टर नं० 5 प्रबंध समिति)

आपरी— 30-8-64)

पृ० नं० 188

प्रस्ताव नं० 3 :- प्रदेशवार ग्राम स्वराज्य के त्रिविध कार्य की जानकारी

रायपुर के निर्णयानुसार त्रिविध कार्यक्रम की प्रगति .

रायपुर सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 30 जनवरी से 12 फरवरी तक के पक्ष में त्रिविध कार्यक्रम की दिशा में क्या काम हुआ उसकी जानकारी सभी जिला सर्वोदय मण्डलों की पत्र लिखकर मंगी गई थी। कार्यालय में जो जानकारी प्राप्त हो सकी वह निम्न प्रकार :-

नाम प्राप्त	: कितनी जिलों से रिपोर्ट	दान मिला एकड़	ग्रामदान जिला संख्या	कितनी गाँवों में पड़ेयात्रा	साहित्य विक्री .	पत्रिका के ग्राहक बनाए गए .
पंजाब	10	.	.	26	1407. 57	6
मध्य प्रदेश	11	16. 25	.	38	464. 37	30
असम	1	.	9	13	.	10
पं. बंगाल	2	231. 92	3	.	29. 66	13
गुजरात	2	.	.	27	193. 85	82
मैसूर स्टेट	1	.	.	20	.	.
तामिलनाडु	1	.	.	8	.	.
उत्तर प्रदेश	15	.	.	177	975. 96	46

राजस्थान	15	.	1	.	356 75	54
बिहार	10	0:48	24	.	30:00	29
	68	249:65	37	309	3458:16	270

नाम प्रान्त	सूताजलि प्राप्त गुण्डी	शांति केन्द्र बनारस	शांति सैनिक बनारस	किले बैचे .	सर्वोदय पाच रखे .	सर्वोदय मित्र बनारस .
पंजाब	8868	3	2	750	60	.
मध्यप्रदेश	3629	.	.	500	.	.
बसम	4023	11	8	4650	56	34
पं बंगाल	294	.	45	.	.	.
गुजरात	111	.	.	.	.	.
मैसूर स्टेट	400	.	.	.	.	.
तामिलनाड	2000	.	.	.	.	.
उत्तर प्रदेश	23687	21	124	8800	139	68
राजस्थान	39902	4	66	2000	.	85
बिहार	9460	5	.	29900	.	30
	92364	44	245	36600	255	217

रायपुर सम्मेलन में स्वीकृत त्रिविध कार्यक्रम की दिशा में अपने-अपने प्रदेशों में अब तक क्या काम हुआ उसकी जानकारी निम्न व्यक्तियों ने बैठक में सामने रखी :-

- 1) श्री. ब्रह्मदेव बाजपेयी (उ. प्र.)
- 2) श्री. बाबूलाल मिश्रा (उड़ीसा)
- 3) श्री. हरकिलास बहन (गुजरात)
- 4) श्री. बकल गार्ड (गुजरात)

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 5) श्री जगन्नाथन्         | (अंध्र)      |
| 6) श्री चाखंड गिठारी      | (फं बंगाल)   |
| 7) श्री प्रगाकर           | (अंध्र)      |
| 8) श्री पूर्णचन्द्र जैन   | (राजस्थान)   |
| 9) श्री दादागई            | (म प्रदेश)   |
| 10) श्री रा कृ पाटेल      | (महाराष्ट्र) |
| 11) श्री ध्वजाप्रसाद साहू | (बिहार)      |

.....

समिति - रजि नं० 4)

(छापरी- 30-3-64)

प्रस्ताव नं० 4 :-

समग्र दृष्टि से कार्य करने के लिए संगठन

पृ० नं० 189

का रूप कैसा हो ?

...

गिन्न गिन्न प्रदेशों के अनुभवों का जो चित्र रखा गया उस पर से यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ~~दिल्ली~~ गिन्न गिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में कार्य करने वाली के बीच सौहार्द, समन्वय और समग्र दृष्टि बढ़ने की दिशा में क्या किया जाय ।

इस विषय की चर्चा में श्री दादा धर्माधिकारी, श्री कपिलगई, श्री ध्वजाबाबू, श्री कृष्णदास गांधी, श्री सेबनजीजी, सीवनीजी, श्री सिद्धराजी, श्री नारायणगई, श्री राधाकृष्ण बजाज, श्री बाबूलाल मिश्र और श्री मनमीहन चौधरी ने हिस्सा लिया ।

त्रिविध कार्यक्रम की लेकर सारे देश में ग्राम-स्वराज्य की समग्र दृष्टि से सब कार्यकर्ता काम में लग जाय यह रायपुर सम्मेलन में तय किया गया। लेकिन इस दिशा में प्रगति क्यों नहीं होती है इसका विवेक्षण चर्चा में किया गया ।

एक विचार यह रखा गया कि खादी संस्थाओं की पिछले दस-बारह वर्षों में नूदान-मूलक बनाने की दिशा में सर्व सेवा संघ की तरफ से ठीस कदम नहीं उठाये जास कसे । खादी ग्रामोद्योग, ग्राम स्वराज्य समिति भी संस्थाओं का सक्रिय मार्गदर्शन नहीं कर पायी । इसी बीच खादी ग्रामोद्योग कमीशन बन जाने से आर्थिक व्यवहार, प्रमाण-पत्र, निरीक्षण आदि दैनंदिन सारा व्यवहार ~~की-धीरे-~~ सरकारी ढंग पर चला गया । परिणाम यह हुआ कि खादी का

बाहरी क्लेवर ती बढ़ा । लेकिन निष्ठा, प्रामाणिकता, सेवाभाव, सादगी इत्यादि छादी-वृत्ति के निदर्शक गुणों में काफी शिथिलता आई ।

अहिंसा में न माननेवालों जिस ढंग से अपना संगठन या कारीबार चलाते हैं वेसा भी हम नहीं चला सकते और अहिंसक संगठन बनाने का तरीका भी खोज नहीं सकते । ऐसी हमारी त्रिकु जैसी दशा बन गई है ।

तीसरा विश्लेषण यह रखा गया कि समाज में एक संस्कार काम करता है उसके अनुसार अधिकांश लोग काम करते हैं । अपने हाथ में सत्र रहेंगे तो अच्छा काम होगा इस तरह का पैटरनलिस्टिक (पैतृकवादी) विचार इसके पीछे काम करता है । सार्वजनिक पैसे के उपयोग के संबंध में सतर्कता कम दीखती है इसके लिए भी संस्कारी से बनी एक मनीवृत्ति है । इसलिए संस्कार बदलने का और नये मूल्या समाज में स्थिर करने का कार्यक्रम होना चाहिए ।

सारी चर्चा का क्लृप्त आत्मपरीक्षणार्थक रहा ।

.....

(प्रबोध स मिति रजि नं० 7)

(पूना — 17-3-70)

पू० नं० 70

प्रस्ताव नं० 7 :- कीष का विनियोग व बटवारे के नियम

...

संघ के अध्यक्षजी एस जगन्नाथन् ने ग्राम-स्वराज्य कीष के सुझाव पर अपना नोट प्रस्तुत करते हुए कहा कि श्री विनीबाजी की 1970 के सितम्बर की 11 तारीख की पिचहतरवां वर्ष पूरा करगे। समूचे देश में उस दिन अमृत महीत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर 100 जिलादान तथा एक करोड़ रुपये की राशि भी देश में "ग्राम-स्वराज्य निधी" के रूप में ग्रामदान-ग्राम-स्वराज्य के काम के लिए संग्रहित कर उनकी नोट की जाय। इस संदर्भ में उन्होंने आगे कहा कि बिहारदान ही चुका है, अन्य कुछ प्रदेश भी प्रदेशदान की ओर तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। राज्यदान के बाद अब समय आग गया है कि तूफानी वेग से ग्रामसभाओं का गठन, भूमि वितरण, ग्राम कीष तथा शांति सेना आदि का आरंभ उन क्षेत्रों में व्यापक रूप में होना चाहिए। ग्राम स्वराज्य के इस आंदोलन को वेग से पूरा करने के लिए सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ताओं को साहसपूर्वक इसमें लगना होगा और उसके लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी।

इस संदर्भ में कुछ शंकाएँ उठाई गईं। विनीबाजी ने ती निधी मुक्ति का विचार दिया है तो क्या उनके निमित्त संग्रह किया जाना उचित होगा? इस प्रकार धन संचय से आंदोलन में बुराहया भी पैदा हो सकती है। इस संबंध में यह स्पष्टता की गई कि विनीबाजी ने संचित निधी का उपयोग न करने के बारे में आपत्ति की थी चल्, छर्व के लिए ती आज भी हम लीग हर स्तर पर धन संग्रह करते ही हैं, और वह करते रहना पड़ेगा अर्थ का उपयोग अनिवार्य तब तक उसे जुटाने की व्यवस्था भी करनी ही पड़ेगी।

11 सितम्बर 1970 को आचार्य विनीबाजी का 75 वां वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशभर में हीरक महीत्सव आयोजित किया जाय। इस अवसर पर विनीबा की 100 जिलादान तथा ग्रामदान-ग्राम स्वराज्य के काम के लिए एक करोड़ रुपये का कीष अकत्र कर अर्पण किया जाय। यथासंभव पूदान दिवस आगामी 18 अप्रैल से कीष संग्रह का प्रारंभ किया जाय।



यह कौष संचित निधि न बने । कौष के विनियोग के लिये कोई अलग ट्रस्ट न बनाया जाय । ग्रामदान— ग्राम स्वराज्य के काम के लिए तीन साल में कौष की रकम का विनियोग ही जाय । कौष - संग्रह में सर्वोदय मित्र बनाने की एवं जन - साधारण से दान प्राप्त करने की प्राथमिकता दी जाय । कौष की कम-से-कम आधी रकम इस प्रकार से प्राप्त ही जैसी कौशिला की जाय ।

श्री. विनीबाजी की स्वीकृति से इस कौष का विनियोग ग्रामदान एवं ग्राम स्वराज्य के काम के लिए जैसे कि— ग्रामदान प्राप्त करने के सिलसिले में शिबिर प्रचार प्रकाशन, सर्वा सम्मेलन, यात्रा या सफर, कार्यकर्ता निर्वाह व्यय तथा कार्यालय संबंधी अन्य खर्च तथा ग्रामदान के बाद ग्राम सभाओं के निर्माण, ग्राम— कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण आदि में होगा । कौष के कुल संग्रह का 10 प्रतिशत आंदोलन के केन्द्रिय खर्च के लिए सर्व सेवा संघ को दिया जायेगा । शेष 90 प्रतिशत सामान्यतौर पर संबंधित प्रान्तों, जिलों आदि में खर्च होगा । कौष का विनियोग सर्व सेवा संघ द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेशीय अथवा जिला सर्वोदय मण्डलों तथा आवश्यकतानुसार अधिकृत अन्य सूत्री द्वारा होगा । ग्रामदान— ग्रामस्वराज्य के इस चालू वर्ष में होनेवाला खर्च तथा कौष संग्रह में होनेवाला खर्च इस कौष में से किया जा सकेगा ।

कौष की पूर्ति के लिए योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने हेतु श्री. जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में एक समिति बनायी जाय । सर्व श्री. उ. न. टेंबर, श्री श्रीमन्नारायण, महिलाम इस समिति के उपाध्यक्ष तथा सर्व श्री. सिध्दराज ठहड़ा, देवेन्द्रकुमार गुप्ता तथा राधाकृष्ण इस समिति के सचिव होंगे । समिति में अन्य सदस्यों की लेने तथा आवश्यकतानुसार अन्य पदाधिकारियों को तनयुक्त करने का अधिकार समिति के अध्यक्ष को दिया गया ।

.....

(प्रबंध समिति रजि. नं० 7 )

पृ० नं० 97  
(साक्ली-सीकर-29-7-70)

प्रस्ताव नं० 6 :-

ग्राम स्वराज्य कोष समितिद्वारा नियम, उद्देश्य  
वितरण, औषध आदि की सफल  
समर्पण संघ की 10 प्रतिशत  
पूरी शक्ति संग्रह में सब लोग लगावें

ग्राम स्वराज्य कोष :-

कोष समिति के संघी श्री. सिध्दराज ठड्डा ने  
कोष के काम का नोट तथा बपी हुई रिपोर्ट प्रस्तुत  
की। उन्होंने इस संदर्भ में बताया कि दो प्रदेशों की बीडकर सब प्रदेशों में ग्राम-  
स्वराज्य कोष के लिए संगठन बन गए हैं। जिला तथा प्रखण्ड स्तरीय संगठन  
भी कई जिलों में बने हैं। प्रदेश संगठनों की ओर से अपूर्ण निकाली गई है।  
काम में गति व तीव्रता आई है। अब तक पांच लाख रुँ कुल उमर संग्रह  
हुआ है। अब तक हुए छव की जानकारी भी उन्होंने करा दी। इसी सिलसिले  
में उन्होंने लक्ष्य की पूर्ति योजना, संग्रह के विभाजन तथा विनियोग कोष के समर्पण  
किए जाने की योजना, निधि मुक्तिता के प्रस्ताव के संदर्भ में स्पष्टीकरण आदि पर  
प्रबंध समिति से मार्गदर्शन चाहा। इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई और प्रबंध  
समिति अपना निम्न मतव्य प्रकट किया :—

••यह संतोष का विषय है कि सर्व सेवा संघ की  
प्रबंध समिति ने पूना की अपनी पिछली बैठक में पूज्य विनोबाजी की पहली  
जन्म जयन्ती के अवसर पर ग्राम स्वराज्य कोष संग्रह का जो निर्णय किया था,  
उसका आमतौर पर देश में स्वागत हुआ है और अधिकांश राज्यों में कोष संग्रह  
का काम प्रारंभ ही गया है। पूना के प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया  
था कि यह कोष संचित निधि के रूप में नहीं रहेगा। यह कोष ग्रामदान आंदोलन  
के चर-चर्च के लिए है और ऐसा अनुमान है कि सामान्य तौर पर अधिक  
तीन वर्ष के अंदर ग्रामदान प्राप्त करने, ग्रामसंगठनों के गठन, ग्राम-कार्यकर्ताओं  
के प्रशिक्षण तथा शांति सेना और उसके विविध अंगों, जैसे ग्रामशांति सेना, तस्म  
सेना आदि अन्य कामों के लिए यह चर्च जरूरी है। ग्रामदान आंदोलन जनशक्ति को  
जागृत और संगठित करने का आंदोलन है इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि आर्थिक  
दृष्टि से भी वह संचित निधिपर निर्भर न रहे बल्कि जन आधारित ही।

यह कोष जहाँ एक और संचित निधि न हो उसी तरह दूसरी और इसका उपयोग की अधिकाधिक विकेंद्रित हो यह वांछनीय है । अतः इस कोष के विनियोग का अधिकार भी जिले या प्रदेश में ग्रामदान ग्रामस्वराज के काम में लगे हुए सर्व सेवा संघ द्वारा मान्य संस्थाओं की होगी । जिन प्रदेशों या जिलों में अभी इस प्रकार के संगठन न हो वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं की सलाह से सर्व सेवा संघ उचित व्यवस्था करेगा ।

यह भी तय किया जा चुका है कि मौटे तौर पर कुल संग्रह का 10 प्रतिशत अछिल भारतीय कार्य के लिए सर्व सेवा संघ को दिया जायगा और बंबई, कलकत्ता जैसे देशीय और बड़े नगरों के संग्रह के बारे में जो विशेष व्यवस्था करना उचित हो, वह की जाय, शेष 90 प्रतिशत कोष संबंधित प्रदेश में ही ग्रामदान ग्रामस्वराज आंदोलन के लिए खर्च होगा । प्रबंध समिति की यह अपेक्षा और सिफारिश है कि जिस प्रकार केंद्रीय खर्च के लिए भी कम से कम 10 प्रतिशत अंश निकाला जाय । शेष रकम का उपयोग जिलों और प्रमुख प्रखण्डों में किस प्रकार हो, यह प्रदेश सर्वोदय संगठन या उपर बताए अनुसार अन्य मान्य संगठन तय करें । ज्यों-ज्यों संग्रह होता जाय त्यों त्यों संग्रह का 10 प्रतिशत प्रदेशों द्वारा ग्राम स्वराज कोष के केंद्रीय कार्यालय की तुरंत भेजा जाना चाहिए ।

विनीबाजी के आगामी जन्म दिन 11 सितम्बर - 1970 की उनके और उनके काम के प्रति श्रद्धा तथा कृतज्ञता व्यक्त करने की दृष्टि से देशभर में अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ इस नागरिक सम्मेलन अपने अपने स्थान पर ग्राम - स्वराज्य कोष का संग्रह करें, ऐसी प्रार्थना है । 11 सितम्बर एक करीब के ग्राम स्वराज्य कोष के संकल्प की पूर्ति की अवधि है इसे ध्यान में रखते हुए जैसा कि पूज्य विनीबाजी ने भी अपेक्षा रखी है, एक बार देशभर में पैले हुए सर्वोदय कार्यकर्ता तथा इस आन्दोलन में सहानुभूति रखनेवाले अन्य सब मित्र अपनी पूरी शक्ति के साथ इस काम में जुटकर लक्ष्य को पूरा करेंगे, ऐसी आशा है । 11 सितम्बर- 1970 के बाद जल्दी से जल्दी सब प्रान्तों से संग्रह का हिसाब आदि एकत्र करके तारीख 2 अक्टूबर को पूज्य विनीबाजी की इस ग्राम स्वराज्य कोष समर्पण किया जा सके, ऐसी कोशिश होनी चाहिए ।

समिति रजि नं० ७)

(सेवाग्राम- 1-10-70)

पृ० नं० 108

प्रस्ताव नं० ३ :- विनीबाजी की पहली किस्त 62, 56, 285 ₹० समर्पण .

....

ग्राम स्वराज कोष के मंत्री श्री सिध्दराज ढड्डानि अब तक के काम का विवरण प्रस्तुत किया। विभिन्न प्रदेशों के सर्वोदय मण्डलों के तथा ग्राम-स्वराज कोष संग्रह कार्य में लगे हुए अन्य कुछ एक साथियों ने उनके प्रदेशों में अब तक हुए कोष संग्रह, कोष की वर्तमान परिस्थिति, संग्रह की दृष्टि से आगे की संभावनाएँ व इसमें आनेवाली कठिनाइयों की जानकारी दी। प्रबोध समिति की 1 अक्टूबर की रात्रिकालीन बैठक तक 54 लाख से कुछ ऊपर के संग्रह की सूचनाएँ आ रही हैं। जिलों के कार्यकर्ता भी आगे लगे हैं इसलिए कोष संग्रह की कुल प्राप्त राशि की अंशित रूप 2 अक्टूबर की सुबह तक दिया जाय और उसत्रुकि अनुसार वह राशि श्री विनीबाजी की समर्पित की जाय। 2 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक 62, 56, 285 ₹० ग्राम स्वराज कोष में प्राप्त होने की सूचना मिली और एक करोड़ के लक्ष्य की पहली किस्त के रूप में वह राशि पूज्य विनीबाजी की अमृत महीत्सव के अंतर्गत समर्पित की गई।

चर्चा में कई मित्रों ने बताया कि विभिन्न प्रदेशों में काम कुछ देर से शुरू हुआ। संग्रह के लिए जी योजना की गई उसके प्लस्वस्व अब कुछ परिणाम सामने आने लगे हैं। कुछ प्रदेशों तमिलनाडु, केरल आदि में चुनाव वगैरह की वजह से बड़ा व्यवधान हुआ और कुछ क्षेत्रों में वर्षा व बाढ के कारण भी कोष संग्रह में रूकावट आई। अतः यह सुझाव आया कि इस स्थिति में कोष संग्रह की अवधि बढ़ाई जाय।

प्रबोध समिति ने प्राप्त कठिनाइयों और सुझावों पर विचार करने के बाद कोष संग्रह की अवधि 31 दिसम्बर, 70 तक बढ़ाने की सहमति दी। सबने गंभीरता से महसूस किया कि इस अवधि में लक्ष्य की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के मित्रों ने जहाँ कि कोष संग्रह लक्ष्य के अनुसार पूरा किया है बताया कि वे भी इसमें बढ़ेंगे।

/19/

राज्य  
ग्राम/कीष समिति के अध्यक्ष श्री. जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मित्री के आग्रह से उन्होंने कीष समिति की अध्यक्षता स्वीकार की थी। लेकिन मुशहरी प्रखण्ड के काम की ध्यान में रहते हुए उन्होंने यह तय किया था कि पहले से निश्चित किये गये कार्यक्रम के अलावा वे मुशहरी से शहर नहीं जायेंगे इसलिए एक दो जगह के अलावा वे इस काम में समय नहीं दे सकें। संयोग से श्री. डेवर भाई भी गरीब रूप से अस्वस्थ हो जाने के कारण इस काम में योग नहीं दे सके। फिर भी आज जो कीष संग्रह हुआ है यदि काम कुछ जल्दी शुरू हुआ होता और उक्त कुछ व्यवधान नहीं आते तो जिस प्रकार से देश में ग्राम स्वराज्य कीष संग्रह का स्वागत हुआ, निश्चित ही लक्ष्यक पूरा हो चुका होता। उन्होंने कहा कि एक करीब रूप्यों में पहले किराने के रूप में अब तक प्राप्त राशि श्री. विनोबाजी की सम्मति को जाय। उन्होंने उन सभी मित्री संस्थाओं और संगठनों के प्रति हृदय के आभार प्रदर्शित किया और धन्यवाद दिया जो बैठक में शामिल हुए हैं और जो अनुपस्थित हैं तथा जिन्होंने कीष संग्रह में अपना उदारपूर्वक योगदान दिया है।

....

पृ० न० 110

प्रस्ताव न० 4 :- ग्राम स्वराज्य कीष का विनियोग :-

श्री. श्रीमन्नारायणजी ने सुझाया कि कीष संग्रह में जगह-जगह जिन मित्री ने सहयोग किया है तथा जिनकी आन्दोलन के साथ सहानुभूति है, ऐसे नये मित्री का सहयोग कीष के विनियोग में भी लेना चाहिए। इस सुझाव का सभी ने स्वागत किया, यह महसूस किया गया कि इससे आन्दोलन की शक्ति बढ़ेगी। अतः यह मान्य हुआ कि प्रदेश की कीष समितियाँ ऐसे मित्री के क नाम प्राप्त किये जायँ जिनकी सर्वोदय के काम में लक्ष्मि है। तथा जो इस काम में सम्पर्क रखना और इसमें सहयोग देना पसंद करेंगे और प्रदेश तथा जिला सर्वोदय मंडलों आदि से प्रार्थन की जाय कि वे ऐसे मित्री की अपनी चर्चाओं तथा बैठकों में सम्मिलित किया करें।

चर्चा के दौरान यह बात भी सामने आई कि एक दो प्रदेशों में और कई जिलों में प्रदेश या जिला सर्वोदय संगठनों की स्थिति स्पष्ट नहीं है या तो वे सक्रिय नहीं है, तथा कहीं कुछ विवाद भी है। ऐसी परिस्थिति में कीष का विनियोग कौन करें इस बारे में शंका हो सकती है। पूना तथा सोकर के प्रस्तावी <sup>नों</sup> में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ऐसे मामलों में सर्व सेवा संघ निर्णय

-निर्णय करेगा । प्रबंध समिति ने कौष के विनियोग से संबंधित ऐसे सब प्रश्नों के बारे में निर्णय करने का तथा श्रीमन्नारायणजी/सुभाष के अनुसार कौष संग्रह समितियाँ से सम्पर्क करके नये मित्री का प्रदेश तथा जिला के सर्वोदय काम में सक्रिय सहयोग प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार संघ के अध्यक्ष व मंत्री की उपसमिति को दिया ।

...

पृ० न० 110

(1-10-70)

प्रस्ताव न० 5 :-

ग्राम स्वराज्य कौष का

वि त र ण

(सेवाग्राम)

..

कौष समिति के मंत्री श्री सिध्दराज ठहड़ा ने बताया कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसे स्तर के शहरों से होनेवाले संग्रह का वितरण केन्द्र, प्रान्त और संबंधित शहर के काम के लिए किस अनुपात में हो, यह तय करना है । बम्बई के कई मित्री ने सुझाया कि वहाँ संग्रहित राशि का 25% संघ 25% बिहार तथा तमिलनाडु के काम के लिए 25% बम्बई शहर के काम के लिए तथा शेष 25 प्रतिशत प्रादेशिक सर्वोदय मण्डल को दिया जाय । प्रबंध समिति ने इस सुझाव को मान्य करते हुए यह तय किया कि शहर और प्रान्त के अंश के अलावा शेष 50 प्रतिशत संग्रह सर्व सेवा संघ को भी भेजा जाय । उसमें से आधे यानी कुल के 25 प्रतिशत का एक "पूल" किया जाय ~~उसमें से आधे यानी कुल के 25 प्रतिशत का~~ इसमें से किस प्रान्त में खर्च करना यह समय समय पर प्रबंध समिति तय करे । यह भी निर्णय रहा कि मद्रास कलकत्ता आदि शहरों के लिए भी सामान्य तौर पर यह फार्मूला लागू हो । दिल्ली शहर के परिस्थिति चुकी और भी गिन है, क्योंकि उसके साथ प्रदेश या ग्रामीण क्षेत्र नहीं के बराबर है, अतः दिल्ली से संग्रह होनेवाले अनुपात के बारे में भी डॉ० देवेन्द्र कुमार गुप्त आदि मित्री से सलाह करके तय किया जाय ।

....

प्रस्ताव न० 6 :-  
=====

कोष संग्रह में हुए या होनेवाले खर्च की

— व्यवस्था —

यह भी तय हुआ कि केन्द्र प्रान्त जिला आदि में अंश का बंटवारा कुल संग्रह (ग्रीस कलेक्शन)के आधार पर ही यानी संग्रह में हुआ खर्च निकालकर नाहो। कोष संग्रह में जिस स्तर पर जो खर्चा हुआ हो, वह संबंधित क्षेत्र अंश में उस उस स्तर का संगठन ब्रह्मण करें। अर्थात् केन्द्रीय कार्यालय में कूपन, प्रचार, कार्यालय आदि की व्यवस्था में जो खर्च हुआ है वह केन्द्रीय (सर्व सेवा संघ के) अंश में से लिया जाय और इसी प्रकार प्रान्तीय स्तर पर हुआ खर्च प्रान्तीय अंश में से और जिला स्तर पर का खर्च जिले के अंश में से।

श्री. सिद्धराज जी ने ग्राम स्वराज्य कोष के काम में जो अनुरोध आये, उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव पेश किये थे। उन पर बैठक में चर्चा हुई। प्रबंध समिति ने उन सुझावों पर विचार करके निम्न लिखित निर्णय लिये —

(1) ग्राम स्वराज्य कोष के सिलसिले में, खास तौर से शहरों और कसबों में, बौद्धिक वर्ग के तथा अन्य नागरिकों से सम्पर्क आया है, उसके साथ सर्व सेवा संघ का सम्पर्क आगे भी कायम रहना चाहिए। देश भर से ऐसे एक दो हजार मित्रों की सूची तैयार की जाय। इस सूची में संस्थाओं और संगठनों को भी शामिल किया जाय। इन सबकी वर्ष में एक बार संघ के मंत्री के पत्र साथ संघ के काम की रिपोर्ट भेजी जाय।

(2) एक सर्व मान्य प्रश्न जो लोग पूछते हैं वह यह कि इतने ग्रामदान हुए हैं तो ग्रामदान के बाद गाँवों में क्या हुआ परिवर्तन हुआ है? अर्थात् आन्दोलन का काम व्यापक रूप से संकल्प प्राप्त करने तक सीमित रहा है, फिर भी बहुत से गाँवों में ग्रामदान के बाद उल्लेखनीय आर्थिक सामाजिक तथा नैतिक प्रगति हुई है। अब तो पुष्टि का काम कई क्षेत्रों में हाथ में लिया गया है। इस काम की जानकारी लोगों की बराबर मिलती रहे तो ग्रामदान आन्दोलन के काम में बहुतों की सक्रिय सहानुभूति मिलती रह सकती है और जानकारी के अभाव में गलतफहमी है, वह दूर ही सकती है।

तय हुआ कि विभिन्न भाषाओं में जो हमारे पत्रिका में निकलती है उन पत्रिकाओं का विशेषक हर तीन महीने में या वर्ष में चार बार, निकले जाय और वे इन तथा अन्य स्थानीय मित्रों को कम से कम अगले तीन वर्ष तक निःशुल्क भेजे जाय। इन विशेषकों में ग्रामदान की दृष्टि से जहाँ विशेष का काम हुआ ही उसका दिग्दर्शन ही। यह भी मत व्यक्त किया गया कि विभिन्न अखबारों के प्रतिनिधियों को क्षेत्रों के दौरे के लिए आमंत्रित किया जाय ताकि वे अपने अपने पत्रों में विशेष लोगों द्वारा ग्रामदान के काम की जानकारी प्रस्तुत कर सकें। यह महसूस किया गया कि इस काम के लिए संघ में विचार प्रचार प्रकाशन का एक स्थानीय कर्ष रहे।

...

(सेवाग्राम - 1-10-70)

**प्रस्ताव नं० 7 :- ग्रामदान प्राप्ति की क्षीणता सधन**  
 =====  
**क्षेत्रों में चुनाव .**  
 =====  
 ...

ग्रामदान आन्दोलन की चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि अब समय आया जब एक ग्राम में वहाँ के परिवारों द्वारा क्षीणता पत्र पर हस्ताक्षर करने मात्र से ही उसके ग्रामदान भी क्षीणता(क्षीणता) नहीं की जानी चाहिये। ग्रामदान क्षीणता के साथ उस ग्राम के भूमिहीनों की कुछ वास्तव में कुछ जमीन मिलनी चाहिये और सांदायिक जीवन भी सुस्वात होने चाहिये। अर्थात् यह कि लोगों को ग्रामदान क्षीणता के बाद उसके विचार को और भावना को अनुमति हो।

कामों विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि ग्रामसभा गठन की जाय और ग्रामदान क्षीणता पत्र पर हस्ताक्षर कर्ताओं की जितनी जमीन गाँव में है उसमें से जितनी जमीन पंच प्रतिशत के हिसाब से एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित की जानिवली हो, उस जमीन का बासा बड़ा भाग कम से कम 50 प्रतिशत का प्रत्यक्ष हस्तांतरण ही जाय और आम सभा में ग्रामदान की क्षीणता ही जाय एवं आदाताओं की जमीन पर कब्जा वास्तव में मिल जाय।



इतना होने पर ही ग्रामदान की शीर्षा की जाय ।

यह भी तय किया कि जहाँ जिलादान या प्रखण्डदान (प्रखण्डदान) ही गये हैं, वहाँ अक्लिम्ब पुष्टि का काम हाथ में ले लिया जाय। कम से कम देश में 100 प्रखण्ड चुने जायें और जो अनुभवी एवं पुराने साथी ही वे वहाँ बैठें तथा पुष्टि के काम में अपनी शक्ति लगायें । एक बार ग्राम सभाओं के गठन आदि के बाद प्रखण्ड सभा बनने तक का काम पूरा होने तक वे वहाँ बैठें ।

यह भी तय किया गया कि श्री जयप्रकाश नारायण के प्रयोग क्षेत्र मुशहरी काँठ की अक्षित भारतीय प्रोजेक्ट माना जाय । श्री जयप्रकाश-नारायण की इच्छा के अनुसार देश के 6-8 वरिष्ठ साथी उनकी सहायता के लिए शीघ्र ही मुशहरी क्षेत्र में जायें । यह भी ध्यान रखा जाय कि आर्थिक अभाव से वहाँ के काम में व्यवधान न आने पावे ।

.....

(प्रबंध समिति रजि. नं० 7 )

(वारणसी - 21-1-71)

प्रस्ताव नं० 14 :-  
=====

(पू०नं० 8\*8) 128)

विनीबा की कौष समर्पणदाताओं की धन = य वा द

.....

ग्राम स्वराज कौष समिति की विभिन्न प्रदेशों से जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर तारीख 3 दिसम्बर 1970 तक ग्राम - स्वराज कौष में करीब 74 लाख रुपये प्राप्त हो चुके थे, 6 लाख रुपये से ऊपर पक्के वायदे मिल चुके थे और संग्रह के जो प्रयत्न उस समय तक चल रहे थे, उनके फलस्वरूप करीब 12 लाख रुपयों और प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। इस प्रकार 31 दिसम्बर की जो अवधि निर्धारित की गई थी उस अवधि का कुल संग्रह 92 लाख रुपये तक पहुँच जायेगा, ऐसी आशा है। कौष समिति के उपाध्यक्ष श्री. देवराज सिंह ने यह श्रद्धा व्यक्त की है कि कौष के लक्ष्य में जो कमी रहेगी, उसकी पूर्ति चुनाव के बाद करने का वै प्रयास करेंगे।

पू. विनीबाजी की 75 वीं जन्म जयंति के उपलक्ष्य में उनके तथा उनके काम के प्रति श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप देश गौर के अनेक छोटे बड़े दाताओं की ओर से एकत्रित यह समस्त धनराशि सर्व सेवा संघ भिक्षु पूर्वक तथा उनके दीर्घायुष्य की शुभ कामनाओं के साथ पू. विनीबाजी की समर्पित करना है। देश गौर में फैले हुए जिन कार्यकर्ता भाई बहनों के समुमलित प्रयास से और दाताओं के सहयोग से कई प्रतिकूलताओं के बावजूद यह बड़ा काम सम्पन्न हुआ: उन सबके प्रति प्रबंध समिति तथा कौष समिति कृतज्ञता प्रकट करती है।

.....

पू०नं० 129

प्रस्ताव नं० 15 :-केंद्रीय पूल से सहायता  
=====

..

पूर्व निर्णय के अनुसार बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि जो शहरों से ग्राम स्वराज कौष में संग्रहीत धन अ- राशि का और केंद्रीय पूल में

आया है। मंत्री ने बताया कि बम्बई सर्वोदय मण्डल ने इच्छा व्यक्त की है कि बम्बई के संग्रहित केंद्रीय पूल के अंश से पुष्टि कार्य के लिए एक लाख रुपये बिहार को भेजा जाय। इसी संदर्भ में मंत्री ने कर्ल सर्वोदय मण्डल तथा राजस्थान के बिकानेर जिला ग्राम स्वराज अभियान समिति को और से सहायता के लिए प्राप्त पत्र भी प्रस्तुत किये।

— विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि —

.....

- (1) जहाँ प्रदेश दान हुआ है और पुष्टि के काम के लिए आवश्यकता है, लेकिन स्थानीय साधन अभी उपलब्ध नहीं है, उनकी इस पूल से सहायता दी जाय। इस सिलसिले में यह तय किया गया कि बिहार एवं तमिलनाडु के पुष्टि कार्य के लिए एक एक लाख की सहायता इस पूल से दी जाय।
- (2) मद्रास शहर से हुए ग्राम स्वराज कोष संग्रह का केंद्रीय पूल का अंश तमिलनाडु दान के पुष्टि कार्य के लिए दे दिया जाय।
- (3) कर्ल में जो संग्रह हुआ है, उसका 10 प्रतिशत वहाँ के काम की योजना व कार्यक्रम के अनुसार खर्च करने के संबंध में संघ के अध्यक्ष और मंत्री विचार कर निर्णय करें।
- (4) बाकी प्रदेशों के लिए वहाँ की परिस्थिति तथा आवश्यकता को देखकर समय समय पर प्रबंध समिति निर्णय करें।

.....

(नासिक— 5-5-71)

पृ० नं० 147

प्रबंध समिति रजि नं० 7

प्रस्ताव नं० 10 :- कोष संग्रह समाप्ति (30 जून 1971)

.....

ग्राम स्वराज्य कोष को बंद करने की अंतिम तारीख प्रबंध समिति तय करे यह मांग कोष के मंत्री श्री सिध्दराज ढड्डा ने रखी। 30 जून 1971 यह अंतिम तारीख मानी जाय ऐसा तय रहा। श्री टंबर गार्ह का स्वास्थ्य ठीक न होने से उन्होंने दस लाख रुपया इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी ली थी उससे उन्हें मुक्त ही मानना चाहिये। यह जानकारी कोष के मंत्री ने दी। कोष के नाम से आयकर मुक्ति प्रमाण पत्र का नूतनीकरण किया जाय या नहीं इस पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद तय हुआ कि ग्राम-स्वराज्य कोष के नाम का उपयोग करने या न करने के बारे में बाद में सोचा जाय। पिल्लहल प्रमाण पत्र का नूतनीकरण कर लिया जाय।

.....

(नकोदर — 14-5-72)

पृष्ठ नं० 169

प्रस्ताव नं० 14 :- बीकानेर जिले का हिस्सा केन्द्र में नहीं आया स्थान में ही खर्च किया . संघ की आपत्ति

.....

बीकानेर जिले में ग्राम स्वराज्य का काम चलाने के लिये वहाँ की आदी संस्थाओं ने जो दी लाख रुपया दिया था, नियमानुसार उसका 10 प्रतिशत संघ की पूजा जाना चाहिये था। पर वह नहीं मिला। वह रकम वहाँ के काम के उपयोग में लायी गयी। उसकी खीकृति देने की मांग करनेवाला बीकानेर जिला सर्वोदय मंडल का पत्र मंत्री ने पढ़कर सुनया। चर्चा होकर तय रहा कि वह पैसा पहले संघ के पास पूजा कर बाद में मांग की जानी चाहिये थी। प्रबंध समिति की यह राय बीकानेर जिला सर्वोदय मंडल को पूजा जाय और खर्च हुओ रकम की मजूरी दी जाय ऐसा निर्णय हुआ।